

प्रेषक,

प्रभारी पदाधिकारी, (सड़क सुरक्षा कोषांग)
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

1. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना ।
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना ।
3. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
4. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना ।
5. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।
6. प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना ।
7. सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना ।
8. प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना ।
9. आयुक्त, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना ।
10. नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना ।
11. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना ।
12. अध्यक्ष, ऑटो मोबाईल एसोसिएसन ऑफ इस्टर्न इंडिया, एस0पी0 वर्मा रोड, पटना ।
13. अध्यक्ष, ट्रक ऑनर्स एसोसिएसन बिहार, पटना, न्यू मार्केट, स्टेशन रोड, पटना ।
14. अध्यक्ष, बस ऑनर्स एसोसिएसन बिहार, पटना, न्यू मार्केट, स्टेशन रोड, पटना ।
15. अध्यक्ष, ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन बिहार, पटना,
सिंह सर्विसेज, इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प,
पहाड़ी, एन0एच0-30, पटना ।

पटना, दिनांक- 29/4/16

विषय : राज्यस्तरीय सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक के संबंध में ।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 1969 एवं 1970 दिनांक-25.04.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 03.05.2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे राज्यस्तरीय सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की सूचना आपको प्रेषित की गयी है । इस बैठक हेतु पूर्व में प्रेषित कार्यसूची में अल्प संशोधन किया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है ।

अतः उक्त बैठक में निर्धारित तिथि को ससमय राज्यस्तरीय सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करने की कृपा करें ।

अनु0:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रभारी पदाधिकारी, (सड़क सुरक्षा कोषांग)
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

आ.स.प.प.प.प.
प.प.प.प.

बैठक की कार्य सूची

<u>परिवहन विभाग</u>	
1.	विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन ।
2.	बिहार सड़क सुरक्षा नीति पर विचार ।
3.	राज्य सड़क सुरक्षा कार्ययोजना के प्रारूप पर परिषद का अनुमोदन प्राप्त करना ।
<u>पथ निर्माण विभाग</u>	
1.	ब्लैक स्पॉट की पहचान एवं दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु किये जा रहे उपाय ।
2.	रोड ऑडिट पर विचार ।
3.	सड़कों की साइनेज, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग, ओवर ब्रीज आदि पर विचार ।
<u>गृह/पुलिस विभाग</u>	
1.	सड़क दुर्घटना संबंधी इन्टीग्रेटेड डाटा कलेक्शन सिस्टम पर विचार ।
2.	ओवर स्पीडिंग, ओवर लोडिंग, डंकन ड्राइविंग, हेलमेट इत्यादि का मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत अनुपालन पर विचार ।
3.	हाईवे पेट्रोलिंग की व्यवस्था पर विचार ।
4.	ब्रेथ एनालाइजर, स्पीड गन्स आदि उपकरणों की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण पर विचार ।
5.	दूरभाष संख्या-100 का यूनिवर्सलाइजेशन पर विचार ।
<u>स्वास्थ्य विभाग</u>	
1.	ट्रॉमा सेंटर का सशक्तीकरण पर विचार ।
2.	सड़क दुर्घटना की स्थिति में गोल्डन आवर में की जाने वाली कार्रवाई पर विचार ।
3.	ब्लड बैंक के विस्तारीकरण पर विचार ।
<u>नगर विकास विभाग</u>	
1.	इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था पर विचार ।
2.	शहरी ट्रान्सपोर्ट का आधुनिकीकरण एवं सशक्तीकरण ।
3.	बस स्टैण्ड का आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण ।
4.	पैदल यात्रियों हेतु व्यवस्था/गोलंबर ।
5.	अतिक्रमण हटाने पर विचार ।
<u>सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग</u>	
1.	सड़क सुरक्षा विषयों का समाचार पत्रों में प्रकाशन, सिनेमा घरों में प्रदर्शन एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर प्रसारण तथा होर्डिंग आदि लगाया जाना ।
<u>अन्यान्य</u>	
1.	स्कूलों एवं कॉलेजों में सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता अभियान चलाया जाना ।